PARIS PEACE CONFERENCE (Part-2)

For U.G.Sem-4,MJC,Unit-5

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF.HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA

विभिन्न संधियां :

1.-जर्मनी- वार्साय की संधि - 28 June 1919

2.ऑस्ट्रिया- साँ जर्मे(St.Germain)की संधि- 10 Sept.1919

3.बल्गारिया- नयी(Neuilly)की संधि-27 Nov.1919

4.हंगरी- त्रिआनों(Trianon)की संधि-4June 1920

5.तुर्की- सेब्र(Sevres)की संधि-10 Aug.1920

वर्साय की संधि(Treaty of Versailles)- पृष्ठभूमि

- 4 महीने से अधिक समय में बनकर तैयार
- यह एक विस्तृत प्रलेख था जिसमें 230 पृष्ठ 15 भाग तथा 439 धाराए शामिल
- यह अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में तैयार की गई थी
- इसमें राष्ट्र संघ का संविधान भी सम्मिलित था
- 7 मई को किलमेशों ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रस्ताव पेश किया एवं विचार हेतु दो सप्ताह का समय दिया | जर्मनी ने 26 दिनों बाद अपनी तरफ से 60000 शब्दों का एक विरोध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के पश्चात पुनः जर्मनी को हस्ताक्षर करने हेतु भेज दिया गया|

वर्साय की संधि -पृष्ठभूमि

- हस्ताक्षर नहीं करने पर जर्मनी पर पुन: आक्रमण की धमकी दी गई फल स्वरुप शिडेमान सरकार ने संधि को अस्वीकार करते हुए त्याग पत्र दे दिया |नई सरकार ***गुस्टाव*** प्रधानमंत्री और ***मूलर*** विदेश मंत्री ने संधि पर **28 *जून 1919*** को हस्ताक्षर किए | ठीक इसी दिन 5 वर्ष पूर्व ***सेराजेवो हत्याकांड*** हुआ था|
- जर्मन प्रतिनिधि ने कहा -मेरा देश दबाव के कारण और समर्पण कर रहा है किंतु जर्मनी यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है|

वर्साय संधि- मुख्य प्रावधान

राष्ट्र संघ : संधि का प्रथम भाग इसी से संबंधित है वर्साय संधि के प्रथम 26 धाराएं राष्ट्र संघ का संविधान है।

B. **प्रादेशिक व्यवस्थाएं:1.** जर्मनी ने अल्सेस तथा लोरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस कर दिए।

2. **राइनलैंड** को तीन भागों में विभक्त किया गया तथा उत्तरी भाग में मित्र राष्ट्रों की सेना 5 वर्ष तक मध्यवर्ती भाग में 10 साल तथा दक्षिण भाग में 15 साल तक रखने की बात कही गई ।यह भी तय किया गया कि की राइन नदी के दाहिने भाग के 31 मील चौड़ेप्रदेश पर जर्मनी किसी भी प्रकार के किलाबंदी नहीं करें ।

वर्साय की संधि: मुख्य प्रावधान

- **सार क्षेत्र:** सार क्षेत्र जर्मनी में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी राष्ट्र संघ को सौंप दी गई किंतु कोयले की खानों का स्वामित्व फ्रांस को दे दिया गया।यह भी तय हुआ कि 15 वर्षों के बाद जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि सार क्षेत्र के लोग जर्मनी के साथ रहना चाहते हैं फ्रांस के साथ। यदि सारवासी जर्मनी के साथ मिलने की इच्छा प्रकट करें तो जर्मनी फ्रांस को निश्चित मूल्य देकर खानों को पुनः खरीद ले।

वर्साय की संधि : मुख्य प्रावधान

- जर्मन अधिकृत श्लेसविग में जनमत संग्रह किया गया |इसके आधार पर उतरी श्लेसविग डेनमार्क को दिया गया और दक्षिण श्लेसविग जर्मनी के पास रहा|
- जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा |मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड के राज्य के निर्माण का निर्णय लिया| डांजिंग   को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित किया गया और उसे राष्ट्र संघ के संरक्षण में रख दिया गया| पोलैंड को समुद्री मार्ग देने के लिए डांजिंग के बंदरगाह का उपयोग करने का अधिकार दिया गया |
- जर्मनी को बाल्टिक सागर तट पर स्थित में मेमल का बंदरगाह इसलिए राष्ट्र संघ को सौंपना पड़ा ताकि वह लिथुआनिया को स्थानांतरित किया जा सके|

वर्साय की संधि :मुख्य प्रावधान

- नवनिर्मित राज्य बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को जर्मनी ने मान्यता दी ।
- *जर्मन उपनिवेश संबंधी व्यवस्था:* मित्र राष्ट्र जर्मन उपनिवेश को अपने-अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे किंतु विल्सन ने इसका कड़ा विरोध किया ।विल्सन के विरोध के कारण मित्र राष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका- ब्रिटेन को, कैमरून तथा तोगोलैंड- फ्रांस को दक्षिण प्रशांत द्वीप- Austriaको, सेमोआ- न्यूजीलैंड को नाउरी द्वीप -ब्रिटेन को तथा प्रशांत महासागर का उपनिवेश जापान को मिले।

वर्साय की संधि :मुख्य प्रावधान

- ***सैन्य व्यवस्थाएँ:***पेरिस की शांति सम्मेलन के आयोजकों का मत था कि जर्मनी को सैन्य दृष्टि से इतना पंगु बना दिया जाए कि वह भविष्य में कभी शांति को भंग ना कर सके।
- 1. जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गयी।
- 2. जर्मन सेना में सैनिकों की संख्या 12 साल के लिए एक लाख कर दी गयी।
- 3. जर्मनी में अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद आदि के उत्पादन को अत्यंत सीमित कर दिया गया तथा उसे इन वस्तुओं को आयात करने पर भी रोक लगा दी गयी।

वर्साय की संधि: मुख्य प्रावधान

- 4. राइन नदी के किनारे31 मील   के भूभाग का असैन्यीकरण किया गया।
- 5. बाल्टिक सागर की किलाबंदी बंद की गई
- 6. जर्मनी को किसी भी प्रकार की वायु सेना   रखने का भी निषेध कर दिया गया।
- 7. जर्मनी की नौ सैन्य शक्ति को भी सीमित किया गया ।
- 8. उक्त के अनुपालन हेतु जर्मनी के खर्चे पर मित्र राष्ट्रों ने सैन्य   आयोग   स्थापित किए।

प्रो.कार ने सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में बताया है कि जर्मनी का जिस कठोरता पूर्वक सर्वांगीण निशस्त्रीकरण किया गया उतना और कभी किसी देश का नहीं किया गया था ।लिखित रूप से प्राप्त आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता।

वर्साय की संधि :मुख्य प्रावधान

- **आर्थिक व्यवस्था:1.** जर्मनी को संधि की 231 वीं धारा के अनुसार सारे नुकसान और क्षति के लिए उत्तरदाई ठहराया गया ।
- 2. क्षतिपूर्ति का स्वरूप और उसके वसूल की जाने वाली धनराशि के निर्धारण के लिए क्षतिपूर्ति आयोग गठन की व्यवस्था की गई।
- 3. यह सुनिश्चित हुआ कि क्षतिपूर्ति के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक जर्मनी की सरकार1921 तक 5 अरब डालर धनराशि देगी।

वर्साय की संधि: मुख्य प्रावधान

- 4.विभिन्न जर्मन उपनिवेशों में और मित्र राष्ट्रों में जो भी जर्मन सरकारी और गैर सरकारी पूंजी थी वह जब्त कर ली गयी ।
- 5. युद्ध में नष्ट हुए प्रदेशों के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी के आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना तय हुआ। जर्मनी 70 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष फ्रांस को 80 लाख टन ब्रिटेन को तथा इतना ही हर साल बेल्जियम को देने के लिए कहा गया।
- 6. मित्र राष्ट्र को जर्मनी से कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात पर विशेष सुविधा दी गई ।
- 7. जर्मनी नौसेना का सबसे बड़ा केंद्र कील नहर पर मित्र राष्ट्र् ने परोक्ष रूप से अधिकार जमा लिया

वर्साय की संधि: अन्य प्रावधान

- 1. जर्मनी की प्रमुख नदियां एल्ब,ओडर,नीमन और डेन्यूब को अंतरराष्ट्रीय घोषित कर दिया गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष आयोग गठित किए गए |राइन नदी को भी एक अंतरराष्ट्रीय आयोग के अधिकार में रखा गया।
- 2. जर्मनी को अपने प्रमुख बंदरगाह हेम्बर्गऔर स्टैटिन में चेकोस्लोवाकिया को व्यापारिक सुविधा के लिए स्वतंत्र क्षेत्र देने को बाध्य किया गया।
- 3. जर्मनी के सम्राट विलियम दवितीय पर अंतरराष्ट्रीय सदाचार तथा संधियों के विरुद्धे घोर अपराध करने का अभियोग लगाया गया किंतु नीदरलैंड की सरकार ने सम्राट विलियम।। को सौंपना अस्वीकार कर दिया इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका।
- To be continued…..